


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1461]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2013/आषाढ़ 4, 1935

No. 1461]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2013/ASHADHA 4, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जून, 2013

अधिसूचना

का.आ. 1844(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 के 0.000 कि.मी. से 365.570 कि.मी. (लखनऊ से फैजाबाद से गोरखपुर से उत्तरप्रदेश/बिहार सीमा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” संदर्भित किया गया है) को सौंपा है:

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर निम्नलिखित अनुसार शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था:-

I. उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर 135.000 किमी से 190.000 किमी तक के खण्ड हेतु का.आ.सं0 360 (अ), तारीख 1 मार्च, 2012 द्वारा:

II. उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर 190.000 किमी से 252.86 किमी तक के खण्ड हेतु का.आ.सं0 1743 (अ), तारीख 6 अगस्त, 2012 द्वारा।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में मैसर्स अयोध्या गोरखपुर एसएमएस टोल्स प्रा. लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय आइ.टी.पार्क, 20, एसटीपीआइ, गायत्री नगर, परसोडी, नागपुर-440 022, महाराष्ट्र, भारत में है (जिसे इसमें इसके बाद “रियायतग्राही” संदर्भित किया गया है) के साथ प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर 137.970 किमी से 252.860 किमी तक अयोध्या-गोरखपुर खण्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त खण्ड” संदर्भित किया गया है) के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 03.09.2012 को प्रस्तुत बोली के लिए 5 मार्च, 2013 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त करार” संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008, द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें आगे और संशोधन किये गये थे (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम” संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 360 (अ), तारीख 01.03.2012 तथा का.आ.सं. 1743 (अ), तारीख 06.08.2012 का अधिक्रमण करते हुए सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हैं या करने से लोप करा दी गयी हैं, उक्त खण्ड के अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूँजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 110.06 कि.मी के लिए उक्त खण्ड के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु, सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् “आधार दर” संदर्भित किया गया है) पर और पचास करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाले 1.290 किमी लम्बे पुलों/संरचनाओं के लिए सारणी 2 में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा दस करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाले 4.751 किमी लम्बे बाइपास के लिए नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर जो भी बाद में हो, समाप्ति की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, उक्त शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है:

सारणी -1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी-2

शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति यात्रा) (रूपये में)						
स्थायी पुल, बाइपास अथवा सुरंग की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	(एचसीएम), (इएमइ) या (एमएवी)	बड़े आकार के वाहन
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपये तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपये या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	3.30	4.50	6

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
बस्ती जिले में चौकड़ी गांव के पास 163.000 किमी पर	47.200
बस्ती जिले में मंडवानगर गांव के पास 198.00 किमी पर	62.860

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
बस्ती जिले में चौकड़ी गांव के पास 163.000 किमी पर	4.751 (अयोध्या बाइपास) 137.970 किमी से 144.011 किमी तक

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों)/ संरचना/ (संरचनाओं) के उपयोग के लिए, जिनकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, उपर्युक्त सारणी-2 में उल्लिखित आधार दर पर निम्नलिखित शुल्क भी, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	पुल/ संरचना की लम्बाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपये में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
बस्ती जिले में चौकड़ी गांव के पास 163.000 किमी पर	लम्बाई	लागत
	139.274 किमी से 140.564 किमी तक 1.290 किमी	90.00 करोड़ रुपये

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए	पचास या अधिक	संदाय की

संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	तारीख से एक मास
---------------------------------	-----------------

6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
7. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
10. ऊपर सारणी-1 में तथा-2 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी.शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा और उसे प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किये गये संशोधन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।
11. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से वसूल की जानेवाली परियोजना की पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 1588.69 करोड़ रुपये (एक हजार पांच सौ अट्ठासी करोड़ उनहत्तर लाख रुपये मात्र) है। रियायतग्राही द्वारा टोल का संग्रहण वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 और बोली की नियत तारीख तक उसमें आगे किये गये संशोधनों के अधीन, लागू दरों पर किया जायेगा। पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने की तारीख के बाद ली जाने वाली टोल की दरों को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जायेगा। यदि किसी कारण से, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 90 दिन तक पहले/ बाद में कर दी जाती है तो वसूल की जानेवाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इंजीनियर/ स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख के बाद 30 दिन के अन्दर रियायतग्राही को सूचित कर दिया जाएगा।

[भाराराप्रा/12-13/सीओ/जीसी अयोध्या (अयोध्या-गोरखपुर)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2013

S.O. 1844(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated 26th April 2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 365.570 (Lucknow to Faizabad to Gorakhpur to Uttar Pradesh/ Bihar Border section) of National Highway No. 28 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

- I. Vide S.O. No. 360 (E) dated 1st March, 2012 for the stretch from km. 135.000 to km. 190.000 on NH-28 in the State of Uttar Pradesh.
- II. Vide S.O. No. 1743 (E) dated 6th August, 2012 for the stretch from km. 190.000 to km. 252.86 on NH-28 in the State of Uttar Pradesh

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on March 5, 2013 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Ayodhya Gorakhpur SMS Tolls Pvt. Ltd. having its registered office at I.T. Park, 20, STPI, Gayatri Nagar, Parsodi, Nagpur- 440 022, Maharashtra, India (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), for bids submitted on 03.09.2012 for the Operation and Maintenance of Ayodhya-Gorakhpur section from km 137.970 to km 252.860 on National Highway No. 28 (hereinafter referred to as the “said section”) on Operate, Maintain & Transfer (OMT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and its further amendments (hereinafter referred to as the “Rules”) and in supersession of the notification number S.O. No 360(E) dated 01.03.12 and S.O. no 1743(E) dated 06.08.2012 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 110.06 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) and at the base rates specified in the Table No. 2 for 1.290 km long bridges/structures costing Rupees Fifty Crore or more and at one and half times the base rate for bypass having length of 4.751 km costing Rupees ten

crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the Agreement;

Table—1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

“Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)						
Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in Crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	Three-axle commercial vehicles	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen Crore and up to Rupees one hundred Crore.	1	1.50	3	3.30	4.50	6

Notes:-

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
At km 163.000 near village Chaukadi district Basti	47.200
At km 198.00 near village Mandwanagar district Basti	62.860

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
At km 163.000 near village Chaukadi district Basti	4.751 (Ayodhya bypass) from km. 137.970 to km. 144.011

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), at the base rate mentioned in Table-2 above, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) and Cost of bridge/structure (in Rupees Crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
At km 163.000 near village Chaukadi district Basti	1.290 km, from km. 139.274 to km. 140.564	Rs. 90.00 Crore

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred fifteen only) for the year 2012-13, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for

that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

11. The present value of Capital Cost of the Project to be recovered from the date of COD is Rs. 1588.69 crores (Rs. One Thousand Five Hundred Eighty Eight Crores and Sixty Nine Lakhs only). From the Commercial Operation Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and collection) Rules, 2008 and further amendments till bid due date. After the day on which the Capital Cost is recovered the toll rates chargeable shall be reduced to 40% of rate being charged. In case, due to any reason, COD is advanced/Postponed upto 90 days, the Capital Cost to be recovered shall be reworked and intimated to the Concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/Independent Engineers.

[F. No. NHAI/12-13/CO/GC Ayodhya (Ayodhya-Gorakhpur)]

ALKESH SHARMA, Joint Secy.